राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-VI/15/738 दिनांक : 09-09-2016

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की षष्टम् बैठक दिनांक 18.07.2016 को 02:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :–

- श्री पुरूषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/ प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
- नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :–
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, अलवर जोन, अलवर।
  - जिला नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
  - जिला नगर नियोजक, सीकर।

बैठक में समस्त प्रकरणों पर विचार–विमर्श एवं निर्णय पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि सभी नगरों का एकीकृत विकास किया जाना चाहिए और कहा कि बड़ी योजनाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 तथा Housing for all के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तथा यह भी निर्देश दिये कि मास्टर प्लान बनाते समय आम जन की निजी भूमि के स्थान पर राजकीय/सरकारी भूमि को भू–उपयोग सुविधा क्षेत्र पब्लिक यूटिलिटी हेतु आरक्षित रखे जाने का यथा संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि आम जन को परेशानी न हो तथा मास्टर प्लान लचीला होना चाहिए। सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिये गये की भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही के पश्चात 90–ए की कार्यवाही कर ले–आउट प्लान व पट्टे जारी करने की कार्यवाही 3 माह में सम्पन्न कर दी जानी चाहिए एवं नगरीय निकायों द्वारा मास्टर प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्य भी आवश्यक रूप से स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया, तथा उपरोक्त अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 तथा Housing for all के प्रावधानों की पालना हेतु 2 हैक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक भूमि के ले–आउट प्लान में उपरोक्त नीतियों के अनुसार भू–खण्डों का आरक्षण किया जाना एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत् वित्तीय सहायता की सुनिश्चितता निदेशालय के वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा की जावेगी। अतः ऐसे समस्त स्वीकृत ले–आउट प्लान नगरीय निकायों के स्तर पर प्राप्त होते है उन ले–आउट प्लान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 तथा Housing for all के प्रावधानों को सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित नगरीय निकायों से पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग को अधिकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में समस्त नगरीय निकायों को पृथक से निर्देशित किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 तथा Housing for all के

प्रावधानों के तहत आरक्षित भूमि के रिकार्ड का संधारण भी निदेशालय के स्तर पर किया जा सके, ताकि E.W.S./L.I.G. हेतु आरक्षित भूमियों के लाभार्थियों हेतु उचित कार्यवाही की जा सके।

समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की कार्यवाही विवरण पर राज्य सरकार के स्तर पर विचार विमर्श पश्चात् यह तथ्य नोट किया गया, कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा पार्क, खुले स्थल खैल के मैदान, सामुदायिक सुविधाऐं मय राजकीय/अर्द्धराजकीय कार्यालयों हेतु भू–उपयोगों का भू–उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा रहा हैं। अतः नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग की समितियों के निर्णयों में एकरूपता रखे जाने की दृष्टि से एजेण्डा संख्या 5, 8, 17, 55, 60, 68 व 69 से सम्बन्धित भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में अनुमोदन पर विचार नही किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। एजेण्डा संख्या 54 संस्थानिक (राजकीय महाविधालय) प्रयोजनार्थ, जनहित में होने से अनुमोदित किये जाने के निर्णय के साथ एजेण्डावार कार्यवाही विवरण अनुमोदन पश्चात् संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

नोटः–

*बैठक कार्यवाही विवरण स्वायत्त शासन विभाग की वैबसाईट **www.lsg.urban.rajashtan.gov.in** पर **Town Planning>state level land use change committee>zones** से भी download किये जा सकते हैं।*

09/09/2016

(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-V/15/ 739-41 **दिनांक :** 09-09-2016

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

09/09/2016

(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-V/15/ 742-95 **दिनांक :** 09-09-2016

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर एवं उदयपुर।
2. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर।
3. आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर, किशनगढ़, नागौर, मकराना, भीलवाड़ा, हनुमानगढ, चूरू, दौसा, झुन्झुनू, डुंगरपूर, राजसंमद।
4. अधिशाषी अधिकारी, सरवाड़, नावां, आसीदं, देवली, मालपूरा, टोडारायसिंह, बिजयनगर, जहाजपुर, पीलीबंगा, केसरीसिंहपुर, नोहर, पदमपुर, रतनगढ़, राजगढ़ (चूरू), रामगढ़ शेखावाटी, फुलेरा, चाकसू, चिड़ावा, रींगस, पोकरण, भिनमाल, जैतारण, सौजत, आमेट, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, देवगढ़, नाथद्वारा, सलूम्बर, पिड़ावा, बायाना, तिजारा, तथा निवाई।
5. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश एवं कार्यवाही विवरण को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

09/09/2016

(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर